न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
29/2017/प्रार्थना पत्र	07.03.2017	20.04.2017

उनवान

1–3 सत्यनारायण, गोदू, सुखा पिता देबी कुम्हार निवासी रलायता
4– सुवा पिता नन्दा कुम्हार निवासी रलायता
5– छोटी पुत्री हीरा कुम्हार निवासी रलायता

– प्रार्थीगण

बनाम

1– जगदीश पिता हीरा गुर्जर निवासी रलायता
2– शम्भुसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी रलायता
3– मेवा पिता ज्वारा गुर्जर निवासी रलायता
4– सोजी पिता ज्वारा गुर्जर निवासी रलायता

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 371 आ0न0 347 रकबा 1.58 है0, आ0न0 348 रकबा 0.28 है0, आ0न0 351 रकबा 0.47 है0, आ0न0 352 रकबा 0.15 है0, आ0न0 353 रकबा 0.04 है0, आ0न0 355/1484 रकबा 0.04 है0 कुल किता 06 रकबा 2.56 है0 स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन

किया गया। जमाबन्दी ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता संवत 2071 से 74 खाता संख्या 371 आ0न0 347 रकबा 1.58 है0, आ0न0 348 रकबा 0.28 है0, आ0न0 351 रकबा 0.47 है0, आ0न0 352 रकबा 0.15 है0, आ0न0 353 रकबा 0.04 है0, आ0न0 355/1484 रकबा 0.04 है0 कुल किता 06 रकबा 2.56 है0 का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 371 आ0न0 347 रकबा 1.58 है0, आ0न0 348 रकबा 0.28 है0, आ0न0 351 रकबा 0.47 है0, आ0न0 352 रकबा 0.15 है0, आ0न0 353 रकबा 0.04 है0, आ0न0 355/1484 रकबा 0.04 है0 कुल किता 06 रकबा 2.56 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा